उत्तर प्रदेश शासन
उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-2
संख्या-4/2015/सीपी 1220/84-2-2014-सीपी 2/2014
लखनऊ : दिनांक : 03 फरवरी, 2015

कार्यालय ज्ञाप

श्री राकेश कुमार-II पुत्र श्री राम बहादुर सक्सेना, जिला जज (सेवानिवृत्त), 11ए/15, वृन्दावन योजना, रायबरेली रोड, लखनऊ-226002 की नियुक्ति शासन की अधिसूचना संख्या-67/सीपी 1014/84-2-2014-सीपी 2/2014, दिनांक 19 नवम्बर, 2014 द्वारा जिला उपभोक्ता फोरम, जालौन में अध्यक्ष (पूर्णकालिक) पद पर की गयी थी।

2. निबन्धक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0 के पत्र संख्या-4210/एससीडीआरसी/अधि/58/14, दिनांक 11 दिसम्बर, 2014 द्वारा श्री राकेश कुमार-II के पत्र दिनांक 24 नवम्बर, 2014 की छाया प्रति उपलब्ध कराते हुए अवगत कराया गया है कि श्री राकेश कुमार-II द्वारा सेन्ट्रल गवर्नमेंट इण्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल कम लेबर कोर्ट, केन्द्रीय भवन, 8 फ्लोर, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ में पीठासीन अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं, जिस कारण वे जिला फोरम, जालौन के अध्यक्ष पद पर कार्यभार ग्रहण करने में असमर्थ हैं। निबन्धक, राज्य आयोग द्वारा श्री राकेश कुमार-II की अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, जालौन के पद पर की गई नियुक्ति को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

3. अत: निबन्धक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0 के अनुरोध के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त जिला उपभोक्ता फोरम, जालौन के अध्यक्ष (पूर्णकालिक) के पद पर उक्त श्री राकेश कुमार-II की नियुक्ति को निरस्त किये जाने की श्री राज्यपाल एतद्द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

बी0 एम0 मीना
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक यथोक्त

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) निबन्धक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, सी-1, विक्रान्तखण्ड-1, गोमतीनगर, लखनऊ ।
(2) जिलाधिकारी, जालौन ।
(3) कोषाधिकारी, जालौन।
(4) कार्यालय, जिला उपभोक्ता फोरम, जालौन (द्वारा निबन्धक, राज्य आयोग)।
(5) श्री राकेश कुमार-II पुत्र श्री राम बहादुर सक्सेना, जिला जज (सेवानिवृत्त), 11ए/15, वृन्दावन योजना, रायबरेली रोड, लखनऊ-226002

आज्ञा से,

हरिश्चन्द्र
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।